आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail : nssccerаj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांक एफ 8(22)/बजट/एनएसएस/आकाशि/2023/ 249-51 दिनांक 28.6.2023

प्राचार्य
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान।

विषय :— राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान हेतु बैंक में ZBSA (Current Account) खाता खुलवाने बाबत।

संदर्भ :— विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8(22)बजट/एनएसएस/आकाशि/2022/965-67 दिनांक 16.01.2023 एवं 70-72 दिनांक 27 अप्रेल, 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन फरमावें। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस. प्रकोष्ठ) के पत्रांक एफ.न. के-11032/3/2033-एनएसएस दिनांक 06.10.2022 व ई मेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक एफ. न. 1(18)/ पीएफएमएस/एफसीडी/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022-23 से नई प्रणाली से अनुदान जारी करने हेतु सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपको अतिशीघ्र भारतीय स्टेट बैंक में "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) खुलवा कर राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सूचित करने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी आज दिनांक तक कुछ महाविद्यालयों/संस्थाओं ने "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) नहीं खुलवाया है तथा कई महाविद्यालयों/संस्थाओं ने खाता खुलवाने के बाद खाते का मैप नहीं करवाया है और ना ही राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप 4-अ) विभाग, शासन सचिवालय के यहां रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके अभाव में कई महाविद्यालय/संस्था अनुदान से वंचित रह गये है।

अतः ऐसे महाविद्यालय/संस्थाएं जिन्होंने आज दिनांक तक उपरोक्त वर्णित बैंक खाता नहीं खुलवाया है उन्हें पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10 जुलाई, 2023 तक खाता खुलवा कर खाते का मैप करवा कर राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप 4-अ) विभाग, शासन सचिवालय को सूचित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् आपके प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा महाविद्यालय/संस्था को वर्ष 2023-24 का अनुदान जारी नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था उत्तरदायी होगी।

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित जिला समन्वयक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों में सन्दर्भित पत्रों की पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
2. वेब प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Signature valid
आयुक्त
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.27 1?:43:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4149788